संख्या-1049/1-10-2014-12(2)/13

प्रेषक,

लीना जौहरी,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

जिलाधिकारी
अमरोहा ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक: 15 दिसम्बर, 2014

विषय वर्ष 2013-14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की पुनर्स्थापना हेतु अवशेष धनराशि का राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अमरोहा में वर्ष 2013-14 में आयी बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु शासनादेश संख्या-146/1-10-2014-12(2)/13, दिनांक 17.02.2014 द्वारा जिला स्तरीय आपदा राहत समिति से अनुमोदित गन्ना विभाग, अमरोहा के 36 कार्यों हेतु प्रथम किश्त की 25 प्रतिशत धनराशि रू0 2,81,77,000/- एवं लोक निर्माण विभाग के 22 कार्यों हेतु 25 प्रतिशत धनराशि रू0 1,73,18,750/- आवंटित की गयी थी। अग्रेत्तर शासनादेश संख्या-360/1-10-2014-12(2)/13, दिनांक 26.06.2014 द्वारा लोक निर्माण विभाग के 22 कार्यों हेतु 50 प्रतिशत धनराशि रू0 3,46,37,500/- स्वीकृत की गयी है। इस सम्बन्ध में गन्ना विभाग की सड़कों हेतु जिलाधिकारी के पत्र संख्या-681/दै0आ0सहा0/2014, दिनांक 14.08.2014 एवं पत्र संख्या-816/दै0आ0सहा0/2014, दिनांक 11.11.2014 तथा लोक निर्माण विभाग की सड़कों हेतु पत्र संख्या-4367/39सी0, दिनांक 11.11.2014 द्वारा किये गये अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुये गन्ना विभाग की द्वितीय किश्त की अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि रू0 8,36,28,750/- तथा लोक निर्माण विभाग की द्वितीय किश्त की अवशेष 25 प्रतिशत धनराशि रू0 1,73,18,750/- अर्थात **कुल रू0 10,09,47,500/- (रूपये दस करोड़ नौ लाख सैंतालिस हजार पाँच सौ मात्र)** द्वितीय किश्त के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

गन्ना विभाग अमरोहा के कार्यों/परियोजनाओं का विवरण।

क्र0 सं0	कार्यो का नाम	आगणन की धनराशि (लाख में)	द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत हेतु प्रस्तावित धनराशि (लाख में)
1	2	3	4
1	सीताडाल ढाल से रेलवे क्रासिंग सम्पर्क मार्ग	35.390	26.5425
2	ईट का रढा से नाईपुरा सम्पर्क मार्ग	29.920	22.4400
3	सलामतपुर से नगला और कुआखडा सम्पर्क मार्ग	43.240	32.4300
4	मुण्ढई सरकडी से सरकडा सम्पर्क मार्ग	45.960	34.4700
5	अतरासी हसनपुर मेन रोड करनपुर से रामपुर भूड सम्पर्क मार्ग	36.090	27.0675
6	ईशमपुर शर्की से मटोला सम्पर्क मार्ग	35.790	26.8425
7	हसनपुर ढवारसी मेन रोड से इशहापुर शर्की सम्पर्क मार्ग	47.550	35.6625

8	झकर्री नू... भदोरा सम्पर्क मार्ग का प्रथम भाग	47.810	35.8575
9	पथरा मा... रोड से पथरा एतमालो की मढ़ैया सम्पर्क मार्ग	35.030	26.2725
10	विरामपुर से नानह	34.87	26.1525
11	पी0डब्लू0डी0 रोड से खरखोदा शहबाजपुर सम्पर्क मार्ग	19.000	14.2500
12	कसाईपुर से पथरा एतमाली सम्पर्क मार्ग	41.270	30.9525
13	अतरासी रोड से खलकपुर	12.280	9.2100
14	अमरोहा काफरपुर रोड से मधुवा राड	20.830	15.6225
15	अमरोहा काफरपुर रोड से मर्दीपुरा	48.400	36.300
16	कालाखेड़ा से वासीपुर	39.800	29.850
17	कालाखेड़ा से हैवतपुर	28.170	21.1275
18	शुगर फैक्ट्री से कल्याणपुर	43.390	32.5425
19	खाता से पपसरा	25.020	18.7650
20	रामनगर से छार्वी	12.030	00.00
21	कादरवख्श की मढ़ैया	17.790	17.7900
22	धनौरा नगांवा रोड से अख्त्यारपुर	20.700	20.7000
23	रसूलपुर माफी से चुचैला कला	16.870	16.8700
24	गादीखेड़ा से गादीखेड़ा की मईया	17.630	17.6300
25	नौनेर केन क्रेशर से आलम नगर पतेई	14.710	14.7100
26	चौकपुरी लखमिया मार्ग से हयातपुर	28.690	28.6900
27	टोनिया माफी से पेलीतगा	33.650	33.6500
28	फिरोजपुर बगद नदी से बहलोलपुर	24.330	24.3300
29	मोहम्मदपुर बंगर सम्पर्क मार्ग	36.710	36.7100
30	मुकारी रोड से खालकपुर	33.690	25.2675
31	धनौरा अमरोहा मार्ग से टोनिया	38.820	29.1150
32	धनौरा अमरोहा कुआखेड़ा से लनिवया	35.380	26.5350
33	पीपली नवादा रोड से चकमुस्तकफापुर	10.590	7.9425
34	नीलीखेड़ी से मूढा इम्मा	27.720	20.7900
35	दौलतपुर से तेलीपुरा सम्पर्क मार्ग प्रथम भाग	42.450	31.8375
36	दौलतपुर से तेलीपुरा सम्पर्क मार्ग द्वितीय भाग	45.510	34.1325
		1127.08	**836.2875**

प्रा0 ख0 लोक निर्माण विभाग अमरोहा के कार्यों/परियोजनाओं का विवरण।

क0 सं0	कार्यों का नाम	आगणन की धनराशि (लाख मे)	द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत हेतु प्रस्तावित धनराशि (लाख में)
1	2	3	4
1	धनौरा–शेरपुर मार्ग से शहबाजपुर होते हुए तोमड़ा मार्ग की मरम्मत का कार्य	46.70	11.675
2	जाटों वालों से वाह नदी तक मार्ग की मरम्मत का कार्य	14.22	3.555
3	हसनपुर–अतरासी–अमरोहा (अन्य जिला मार्ग–3) के किमी0 5 में क्षतिग्रस्त पुलिया निर्माण का कार्य।	11.47	2.8675
4.	नहटौर–नरपुर–अमरोहा–जोया मार्ग (अन्य जिला मार्ग–77) के किमी0 57 से हसनपुर–अतरासी–अमरोहा (अन्य जिला मार्ग) के किमी0 23 तक (रिंग रोड) तक मार्ग की मरम्मत का कार्य।	14.51	3.6275
5	ढयोंटी से सतारपुर मढ़ी मार्ग की मरम्मत का कार्य।	29.68	7.42
6	डिडौली–केलसा–नन्हेड़ा अल्यारपुर मार्ग (अन्य जिला मार्ग–24) के किमी0 1 से 6 (7.60) की मरम्मत का कार्य।	49.88	12.47

7	रामपुर से [illegible] मार्ग की मरम्मत का कार्य	[illegible]	11.785
8	झिडौली–[illegible] मार्ग से [illegible] गूजर तक मार्ग की मरम्मत का कार्य .	[illegible]	7.1175
9	अमरोहा केन्द्र पाकबड़ा मार्ग से ड्योढी मार्ग की मरम्मत का कार्य।	28.78	7.195
10	चौधरपुर से [illegible] कलां तक मार्ग की मरम्मत का कार्य	46.92	11.73
11	नौगावां–धनौरा मार्ग से दौलतपुरी मार्ग मरम्मत का कार्य।	23.43	5.8575
12	रिंग रोड से अमरोहा रेलवे स्टेशन तक मार्ग का निर्माण कार्य	49.47	12.3675
13	नौगांवा–धनौरा मार्ग के किमी० 11 से मिलक मार्ग की मरम्मत का कार्य	22.08	5.52
14	शहिदपुर से कुमखियां–लालू नगला–चक्कालीलेट नहर की पटरी तक मार्ग की मरम्मत का कार्य	45.46	11.365
15	गजरौला–गुबरीं मार्ग के किमी० 12 से रतनपुर सम्पर्क मार्ग की मरम्मत का कार्य	31.88	7.97
16	मोहउद्दीनपुर से अहरौला जनपद सीमा तक मार्ग की मरम्मत का कार्य	21.31	5.3275
17	धनौरा–कमेलपुर मार्ग के किमी० 11 से मलंगपुरा चौराहे से चांदपुर बार्डर तक मार्ग की मरम्मत का कार्य	25.71	6.4275
18	चांदरा फार्म से झुण्डपुरा तक मार्ग की मरम्मत का कार्य	26.25	6.5625
19	ग्राम चौखट से ककराला होते हुए सैरकपुर तक मार्ग की मरम्मत का कार्य	25.92	6.48
20	धनौरा–अमरोहा–कांठ मार्ग के किमी० 7 से कौराला–दौराला मार्ग तक मार्ग की मरम्मत का कार्य	42.80	10.7
21	नहटौर–नूरपुर–अमरोहा–जोया मार्ग से धनौरा–अमरोहा– कांठ मार्ग के मध्य रिंग रोड/बाईपास मार्ग की मरम्मत का कार्य	10.98	2.745
22	नहटौर–नूरपुर–अमरोहा–जोया मार्ग (राज्य मार्ग–77 के किमी० 53 में मार्ग की मरम्मत का कार्य।	49.69	12.4225
	योग	**692.75**	**173.1875**

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूव होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक '' 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा ।

3- बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह भी देख लिया जाय कि सन्दर्भित कार्यो के परिप्रेक्ष्य में आगणन की जॉच सक्षम स्तर पर कर ली गयी है तथा वह समस्त मानकों को पूर्ण करते हैं। शासनादेश संख्या-2660/1-10-2012-रा0-10-33(171)/12, दिनांक 25.10.2012 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तात्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु प्रस्तावों/कार्यो में किसी अन्य विभाग से धनराशि प्राप्त न होने का कार्यदायी विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये ही अवमुक्त धनराशि व्यय की जाय। स्वीकृत कार्यो की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यदायी विभाग/जिलाधिकारी का होगा। प्राक्कलित लागत के सापेक्ष वास्तविक आंकलित लागत का ही धनावंटन किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्स्थापना हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि आवंटन की

प्रक्रिया/मार्ग निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-76/1-10-2014-33(94)/2014 दिनांक 23.01.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराते हुये विषयगत मामले/सन्दर्भित कार्यों के बारे में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही की जायगी। यह धनराशि इस शर्त के साथ आवंटित की जा रही है कि उक्त कार्यों को कराये जाने के सम्बन्ध में उक्त शासनादेश दिनांक 23.01.2014 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

4- उक्त धनराशि का व्यय शा0प0सं0-78/पीएसआर/2012, दिनांक 24.01.2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-32-7/2011-एनडीएम-1, दिनांक 16.01.2012 में भारत सरकार की गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अ मानक मदों एवं शासनादेश संख्या-2785/1-10-2011/12(73)/2008, दिनांक 14.10.2011 के अनुसार किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या-317/1-11-2013, दिनांक 21.06.2013 को संलग्न किया गया है, जिसमें कई मानक मदों की दरों में संशोधन किया गया है, जो दिनांक 01.03.2013 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

5- बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप से पूर्ण कर लिया जाये। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जोगा।

6- उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीडी शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय।

7- कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली जाती है । यह स्थिति उचित नहीं है । निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है । अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है । अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

8- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20.06.2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट **एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी.इन** पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा । शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2015 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये ।

[illegible]

[illegible] कराया जाय।

[illegible] के [illegible] महालेखाकार कार्यालय [illegible] कराया जाय और [illegible] लेखाकार कार्यालय से [illegible] शासन को सूचित किया जाय।

भवदीया,

(लीना जौहरी)

सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या: 1049(1)/1-10-2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- प्रमुख सचिव, गन्ना एवं लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

4- आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।

5- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।

6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व तथा सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

7- उप निदेशक सामान्य एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु।

8- वरिष्ट वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, उ0प्र0।

9- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी अमरोहा।

10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5

11- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ

12- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(मदन मोहन)

अनु सचिव।